

विनायक दामोदर सावरकर का राजनीतिक जीवनवृत्त

Dr. Javed Akhtar

Government PG College, Chharra, Aligarh, UP
javed8466@gmail.com

सारांश: विनायक दामोदर सावरकर राजनीतिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्हें हिन्दू-हिन्दुत्व चिन्तन अपने पारिवारिक धार्मिक परिवेश से विरासत में मिला तथा चाफेकर बन्धुओं के बलिदान ने उन्हें क्रान्तिपथ का पथिक बनने की प्रेरणा प्रदान की थी। फर्ग्युसन काले, पूना के छात्र विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व का विकास 1604 ई० में अभिनव भारत की स्थापना के साथ क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के पथ अन्वेषक के रूप में होता है। 1606 से 1610 तक इंग्लैण्ड में उन्होंने न केवल क्रान्ति चिन्तन किया बल्कि पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति में दीक्षित अनेक भारतीय युवकों को गुप्त क्रान्तिकारी संगठन अभिनवभारत का सदस्य बनाया तथा उनका भारतीयकरण एवं संस्कृतिकरण भी किया। सावरकर प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, एस० एस० राणा, बी० वी० एस० अटायर, लाला हरदयाल, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, रामचन्द्र वर्मा आदि के सहयोग से भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न को अन्तर राष्ट्रीय राजनीति से सम्बद्ध करने का प्रथम प्रयास किया। उनके क्रान्ति-चिन्तन के सूत्र— “विदेशी वस्तुओं का नहीं, विदेशियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए” ने इंग्लैण्ड एवं भारत में क्रान्तिकारी गतिविधियों को उत्तेजना प्रदान की।

मुख्यशब्द: विनायक दामोदर सावरकर का राजनीतिक जीवनवृत्त

प्रस्तावना

विनायक दामोदर सावरकर राजनीतिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्हें हिन्दू-हिन्दुत्व चिन्तन अपने पारिवारिक धार्मिक परिवेश से विरासत में मिला तथा चाफेकर बन्धुओं के बलिदान ने उन्हें क्रान्तिपथ का पथिक बनने की प्रेरणा प्रदान की थी। फर्ग्युसन काले, पूना के छात्र विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व का विकास 1604 ई० में अभिनव भारत की स्थापना के साथ क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद के पथ अन्वेषक के रूप में होता है। 1606 से 1610 तक इंग्लैण्ड में उन्होंने न केवल क्रान्ति चिन्तन किया बल्कि पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति में दीक्षित अनेक भारतीय युवकों को गुप्त क्रान्तिकारी संगठन अभिनवभारत का सदस्य बनाया तथा उनका भारतीयकरण एवं संस्कृतिकरण भी किया। सावरकर प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, एस० एस० राणा, बी० वी० एस० अटायर, लाला हरदयाल, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, रामचन्द्र वर्मा आदि के सहयोग से भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न को अन्तर राष्ट्रीय राजनीति से सम्बद्ध करने का प्रथम प्रयास किया। उनके क्रान्ति-चिन्तन के सूत्र— “विदेशी वस्तुओं का नहीं, विदेशियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए” ने इंग्लैण्ड एवं भारत में क्रान्तिकारी गतिविधियों को उत्तेजना प्रदान की।

विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रेषित बम मैन्युल की प्रति से निर्मित बम का सर्वप्रथम प्रयोग मुजफ्फरपुर (बिहार) में खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल, 1608, को किया उनके द्वारा प्रेषित बीस ब्राउनिंग पिस्तौलों में से एक के द्वारा लक्ष्मण कान्हेरे ने नासिक के जिलाधीश जैकसन का वध 29 दिसम्बर, 1606 को किया। उनकी प्रेरणा से मदन लाल धींगरा ने लंदन में कर्जन वायली का वध 01 जुलाई, 1607 को किया। भारत और लंदन में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या से भय, आतंक और रोष का वातावरण उत्पन्न हो

गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत और इंग्लैण्ड में समस्त आंतकवादी गतिविधियों एवं क्रान्तिकारी साहित्य का मूल प्रेरणा स्रोत सावरकर को मानते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का निश्चय किया। बम्बई के जिलाधीश जार्ज क्लार्क के अनुसार सावरकर भारत में उत्पन्न सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक का फरार अभियुक्त अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत राजद्रोह के अभियोग में उन्हें 13 मार्च, 1610 को लंदन में बंदी बना लिया गया। तथा भारत में मुकदमा चलाने के लिए सावरकर को 01 जुलाई, 1610 ई० को इंग्लैण्ड से एस० एस० मोरिया जलयान द्वारा भारत के लिए रवाना किया गया।

08 जुलाई, 1610 को मार्सेल्स बन्दरगाह के निकट जहाज पहुँचने वाला था कि जलयान के शौचालय के पोर्टहोल से कूदकर अत्यन्त स्फूर्ति से समुद्र की लहरों को चीरते हुए वे फ्रांस के तट पर पहुँचे। एक फ्रांसीसी सिपाही ने उन्हें पकड़कर जहाज के अंग्रेज पुलिस अधिकारी को सौंप दिया। समुद्र तरण सावरकर के अदम्य साहस की रोमांचकारी घटना थी, जिसने भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न को अन्तराष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। यूरोपीय समाचार पत्रों ने क्रान्ति के इस हिन्दू पुरोधा के जीवन वृत्त को प्रकाशित किया था। फ्रांस की भूमि पर पकड़े जाने से सावरकर का प्रश्न राजनीतिक शरण के अधिकार में अन्तराष्ट्रीय वाद-विवाद का विषय बन गया। अन्त में, हेग के विवाचन अधिकरण ने 24 फरवरी, 1611 को निर्णय दिया कि, यद्यपि सावरकर की गिरफ्तारी में कतिपय अनियमितताएँ की गईं, फिर भी उसे फ्रांस को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय समाचार पत्रों ने विवाचन अधिकरण के पक्षपात निर्णय की कटु आलोचना करते हुए इसे इंग्लैण्ड के समक्ष फ्रांस के समर्पण की सज़ा दी। भारत में बम्बई उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधिकरण ने नासिक षड़यंत्र केस में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 एवं 121 (अ) के अन्तर्गत उन्हें 24 दिसम्बर 1610 को आजन्म कारावास तथा समस्त सम्पत्ति जब्त करने का दण्ड दिया तथा 30 जनवरी, 1611 को नासिक जिलाधीश जैक्सन की हत्या हेतु उत्तेजित करने के अभियोग में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 106 के अन्तर्गत भी आजन्म कारावास की सज़ा दी। इस प्रकार दो जन्मों के कठोर कारावास की सज़ा कालेपानी अंदमान में भुगतने वाला सावरकर विश्व का अद्वितीय क्रान्ति पुरुष थे।

अंदमान का जेलर बारी अत्यन्त क्रूर स्वभाव का था। उसने सावरकर को एकान्त कारावास, दोनों हाथों हथकड़ी, पैरों में डण्डा बेड़ी और कोल्हू में बैल के समान जुतकर प्रतिदिन 30 पौण्ड तेल निकालने की सज़ा दी। अंदमान में ही उन्हें सर्वप्रथम मुस्लिम साम्प्रदायिकता से साक्षात् परिचय हुआ। उन्होंने देखा कि पठान जमांदार मिर्जाखान के नेतृत्व में पठान, बलूची, सिन्धी और पंजाबी मुसलमान वार्डर हिन्दू कैदियों का बलात् धर्मान्तरण करने का सक्रिय प्रयास करते थे। प्रतिक्रिया स्वरूप सावरकर ने अंदमान जेल में भीषण बाधाओं के बीच, शुद्धि आन्दोलन प्रारम्भ करके हिन्दू संगठन आन्दोलन की नींव रखी। विनायक दामोदर सावरकर कर्मण्यवादी विचारक थे। उन्होंने लंदन प्रवास के दौरान भारत में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या के सन्दर्भ में उठा प्रश्न हिन्दू कौनसे विषय पर सर्वप्रथम विचार किया। इसके पश्चात् अंदमान जेल में उन्होंने हिन्दू शब्द को परिभाषित किया तथा अन्य राजनीतिक कैदियों को हिन्दू शब्द की व्याख्या से परिचित कराया। और लगभग दस वर्षों तक अंदमान की नारकीय जेलों में कठोर शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं सहने के बाद उन्हें 02 मई, 1621 को मुक्त करके भारतीय कारागारों में रखा गया।

रत्नागिरी कारावास में उन्होंने एक मराठा छद्म नाम से 1623 में अपना प्रख्यात ग्रन्थ हिन्दुत्व लिखा। इस ग्रन्थ में उन्होंने हिन्दू शब्द की परिभाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की विशद विवेचना की। उन्हें जनवरी, 1624 से मई 1637 तक रत्नागिरी जिले में स्थानबद्ध किया गया। स्थानबद्धता की अवधि में उन्होंने रत्नागिरी जिले में हिन्दू महासभा की स्थापना की और समाज सुधार तथा हिन्दू संगठन आन्दोलन को गतिमान बनाया। अन्ततः 10 मई, 1637 के ऐतिहासिक दिवस पर उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। मुक्त होने के पश्चात् उन्होंने हिन्दू महासभा के मंच से भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ किया। वे लगातार सातबार (1637-43) हिन्दू महासभा के अध्यक्ष पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में हिन्दुत्व और हिन्दू

राष्ट्रवाद की, व्याख्या की, समाज सुधार और हिन्दू संगठन आन्दोलन को नूतन दिशा और गति प्रदान की। उन्होंने गाँधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, प्रादेशिक राष्ट्रवाद, मुस्लिम साम्प्रदायिक राजनीति और भारत विभाजन की मांग का प्रबल विरोध किया। स्वतंत्र भारत में महात्मा गाँधी की हत्या के षड्यंत्र के अभियोग में उन्हें 05 फरवरी, 1948 को बंदी बनाया गया, किन्तु न्यायालय ने 10 फरवरी 1948 को मुक्त करते हुए उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। सत संघर्ष और मृत्यु की छाया में निरन्तर जीवन व्यतीत करते हुए क्रान्तिकारी योद्धा, हिन्दुत्व अवधारणा और हिन्दू राष्ट्रवाद के प्रतिपादक सावरकर ने 83 वर्ष की आयु में 26 फरवरी, 1966 को मृत्यु को आत्मार्पण कर दिया। सामान्यतः भारतीय राजनीति में उनकी छवि हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद पर बल देने के कारण एक साम्प्रदायिक हिन्दू राजनेता के रूप में अंकित है। वस्तुतः सावरकर प्रथम श्रेणी के राष्ट्रवादी एवं पथ निरपेक्ष राजनेता थे न कि साम्प्रदायिक।

सदन्र्भ ग्रन्थ

1. हिन्दुत्व 1923
2. भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम
3. हिन्दू पद—पादषाही
4. मोपला